

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन  
उपायुक्त (प्रशिक्षण, व्यालिटी, आरईआई) कार्यालय—मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल,  
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन -0141-2706069

[rajssa.training@gmail.com](mailto:rajssa.training@gmail.com)

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प. / जय/ प्रशिक्षण / 2019-20 / ५३२८

दिनांक ३०/०८/२०१९

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा  
समस्त जिले।

प्राचार्य  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)  
समस्त।

विषय : एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (NISHTHA)के आयोजन के क्रम में।

संदर्भ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एनसीईआरटी नई दिल्ली के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम "NISHTHA" (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement) को लागू किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार है –

- धारकेन्द्रित शिक्षण स्वास्थ्य तथा समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों की साझा समझ को विकसित करना।
- हैड टीचर की नेतृत्व क्षमता का विकास करना जिससे कि वे शाला स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर सकें।
- शिक्षकों की विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण निर्माण, विद्यालय आधारित प्रशिक्षण, काउन्सलिंग आदि से संबंधित क्षमताओं का विकास करना।
- विषयों में गतिविधि एवं दक्षता आधारित शिक्षण तथा आंकलन की पद्धतियों के बारे में शिक्षकों को अवगत कराना।

राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर की प्रशिक्षण में भूमिका एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा :

इस प्रशिक्षण के आयोजन हेतु एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों पर माड्यूल तैयार किये गये हैं तथा राष्ट्रीय सन्दर्भ व्यक्ति (National Resource Group NRG) का भी समूह तैयार किया गया है जो कि राज्य स्तर पर राज्य सन्दर्भ समूह (State Resource Group SRG) को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित 2,41,102 शिक्षकों, सन्दर्भ व्यक्तियों, डाइट फैकल्टी सहित अकादमिक समूह को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन माह अक्टूबर 2019 से होना प्रस्तावित है तथा प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निम्न कार्य निर्धारित हैं –

क्र.	कार्य	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला व ब्लॉक स्तर	टिप्पणी
1	राज्य नोडल प्रभारी (SMSA)		✓		उपायुक्त-द्वितीय (प्रशिक्षण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
2	राज्य नोडल प्रभारी (RSCERT)		✓		उपनिदेशक इंटी रैल, RSCERT उदयपुर
3	जिला नोडल प्रभारी			✓	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
4	ब्लॉक नोडल प्रभारी			✓	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5	राष्ट्रीय सन्दर्भ व्यक्ति	✓			राष्ट्रीय सन्दर्भ व्यक्ति का समूह एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई से चयनित समूह।
6	राज्य सन्दर्भ व्यक्ति—लीडरशिप (SRLP) एवं मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति (KRP) चयन		✓		राज्य सन्दर्भ व्यक्ति—लीडरशिप (SRLP) एवं मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति (KRP) का चयन राज्य स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा परिषद स्तर से निर्धारित मापदण्डानुसार किया जायेगा।
7	राज्य सन्दर्भ समूह (SRG) अर्थात् SRLP/KRP का प्रशिक्षण (6 दिवसीय आवासीय)		✓		राष्ट्रीय सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा राज्य सन्दर्भ समूह को परिषद स्तर से निर्धारित मापदण्डानुसार चरणवार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क्र.	कार्य	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला व ब्लॉक स्तर	टिप्पणी
8	एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण (5 दिवसीय गैर आवासीय)			✓	एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर राज्य सन्दर्भ समूह द्वारा दिया जायेगा।
9	प्रशिक्षण मॉड्यूल मुद्रण कार्य			✓	MHRD नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं NCERT नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रिण्टिंग का कार्य राज्य स्तर पर RSCERT उदयपुर के द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं तत्पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार मॉड्यूल्स जिलों एवं ब्लॉक के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों पर भिजवाया जायेगा।
10	NISHTHA ऑनलाइन पोर्टल			✓	राज्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आधारित सूचनाएँ, शिक्षकों का पंजीकरण, प्रशिक्षण प्रतिवेदन आदि ऑनलाइन वैब पोर्टल "NISHTHA" पर प्रविष्टि किया जायेगा। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर NISHTHA पोर्टल हेतु क्रमशः जिला स्तर पर सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण) एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी—द्वितीय/संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षण) को प्रभारी बनाया जाये। नोट— जिला एवं ब्लॉक स्तर पर NISHTHA पोर्टल पर तकनीकी सहयोग हेतु क्रमशः जिला MIS इन्वार्ज एवं ब्लॉक ऑपरेटर को आदेशित किया जाये।

### प्रशिक्षण के आयोजन हेतु रूपरेखा :

- राज्य सन्दर्भ समूह (SRG) का समूह 6 सदस्यों का होगा जोकि 5 मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति (KRPs) तथा 1 लीडरशिप सन्दर्भ व्यक्ति (SRLP) से मिलकर बनेगा।
- राज्य सन्दर्भ समूह (SRG) का प्रशिक्षण कुल 6 दिवसीय रहेगा –
  - मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा तथा पांचवे दिन लीडरशिप सन्दर्भ व्यक्ति भी प्रशिक्षण में सम्मिलित होगे।
  - लीडरशिप सन्दर्भ व्यक्ति दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। एक दिन मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों के साथ तथा प्रशिक्षण के अन्तिम दिवस अर्थात् लीडरशिप प्रशिक्षण हेतु दूसरे दिवस लीडरशिप सन्दर्भ व्यक्ति ही होंगे।
  - प्रत्येक जिले के लिए आवश्यक मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों की संख्या का अवलोकन परिशिष्ठ-1 पर करें।
- ब्लॉक स्तर पर 5 दिवसीय (गैर आवासीय) शिक्षक प्रशिक्षण माह अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 के मध्य विभिन्न चरणों में आयोजित किया जायेगा।

### राज्य सन्दर्भ व्यक्ति—लीडरशिप (SRLP) एवं मुख्य संदर्भ व्यक्ति (KRP) की चयन प्रक्रिया :

इस प्रशिक्षण में राज्य सन्दर्भ व्यक्तियों की मुख्य भूमिका रहेगी। इस हेतु प्रारंभिक स्तर पर चयन हेतु न्यूनतम मापदण्ड निम्नानुसार है—

- केआरपी की न्यूनतम आयु सीमा 28 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष हो।
- केआरपी की अकादमिक योग्यता स्नातक या अधिस्नातक होनी चाहिए।
- केआरपी को 6 वर्ष का कक्षा—कक्षीय शिक्षण अनुभव होना चाहिए।
- केआरपी को प्रशिक्षण संचालन के क्षेत्र में सक्रिय एवं प्रभावी रूप से अनुभवी होना चाहिए।

उक्तानुसार मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निम्न स्तरों पर जिम्मेदारी का वहन किया जाना है —

- ब्लॉक स्तर (प्रारंभिक स्तर)
- जिला स्तर (मध्यम स्तर)
- राज्य स्तर (अन्तिम स्तर)

7/2020

क्र.	स्तर	कार्य	समय सीमा
1	ब्लॉक स्तर	<p>चरण 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्लॉक स्तर पर पीईआरपी की बैठक आयोजित कर संक्षिप्त में NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अवगत कराये।</li> <li>• चयन हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार इच्छुक एवं दक्ष केआरपी संबंधित पीईआरपी के माध्यम से आवेदन पत्र (परिशिष्ट-2 के अनुसार) ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित करे।</li> <li>• केआरपी को दिये गये विषयों में से किसी एक विषय – गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की समझ व विषय के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए।</li> </ul> <p>चरण 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पीईआरपी के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की निर्धारित मापदण्डानुसार जांच कर निर्धारित परिशिष्ट-3 में सूची मय आवेदन पत्र सीबीईआरपी कार्यालय द्वारा जिले में डाइट प्रधानाचार्य को उपलब्ध करायी जायें।</li> </ul> <p>नोट : ब्लॉक कार्यालय में कार्यरत/पदस्थापित सन्दर्भ व्यक्ति (आरपी) मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति हेतु अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित किया जाये एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया से चयनित किया जायें।</p>	01 सितम्बर 2019 04 सितम्बर 2019
2	जिला स्तर	<p>चरण 1 –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लॉक स्तर से प्राप्त केआरपी के आवेदन को सीडीईआरपी तथा डाइट प्रधानाचार्य द्वारा चयन मापदण्डों के अनुसार जिला स्तर पर संवीक्षा/जांच की जाये।</li> <li>• केआरपी की न्यूनतम आयु सीमा 28 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष हो।</li> <li>• केआरपी की अकादमिक योग्यता स्नातक या अधिस्नातक होनी चाहिए।</li> <li>• केआरपी का 6 वर्ष शिक्षण अनुभव होना चाहिए।</li> <li>• केआरपी को प्रशिक्षण संचालन के क्षेत्र में सक्रिय एवं प्रभावी रूप से अनुभवी होना चाहिए।</li> </ul> <p>चरण 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• चयनित केआरपी के कार्य की प्रतिपुष्टि सीबीईआरपी तथा पीईआरपी से प्राप्त करे।</li> </ul> <p>चरण 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला अकादमिक समूह बैठक आयोजित कर सीडीईआरपी तथा डाइट प्रधानाचार्य द्वारा चयनित केआरपी की सूची को बैठक में सम्मिलित सदस्यों के साथ साझा करे एवं परिशिष्ट-3 में अंतिम चरण हेतु पत्र चयनितों की सूची मय आवेदन पत्र प्रशिक्षण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर एवं RSCERT उदयपुर के साथ प्राप्त निर्देशानुसार साझा करें।</li> </ul> <p>नोट :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ जिला/डाइट कार्यालय में कार्यरत/पदस्थापित कार्यक्रम अधिकारी (PO) एवं डाइट फैकल्टी (अकादमिक) को भी मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति हेतु अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित किया जाये एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया से चयनित किया जायें।</li> <li>➢ जिलों में पदस्थापित/कार्यरत संस्था प्रधानों के 5 प्रतिशत से अधिक संस्था प्रधानों को मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति हेतु चयनित नहीं किया जाये।</li> </ul>	05 – 07 सितम्बर 2019 09 सितम्बर 2019
3	राज्य स्तर	<p>चरण 1 –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्तिम चयन प्रक्रिया में जिले से नामांकित केआरपी की सूची को सीडीईआरपी तथा डाइट प्रधानाचार्य राज्य स्तरीय चरण प्रक्रिया में साझा करेंगे।</li> <li>• चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में परिषद स्तर पर संवीक्षा/जांच उपरान्त प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार चरण-2 की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु जिलों द्वारा संभावित चयनितों को आदेशित किया जायेगा।</li> <li>• 326 राज्य सन्दर्भ व्यक्ति- लीडरशिप (SRLP) का चयन सीमेट गोनेर, जयपुर द्वारा किया जाकर SRLP सूची को तैयार कर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर एवं RSCERT उदयपुर को प्रेषित की जायेगी।</li> </ul>	12 सितम्बर 2019 15 सितम्बर 2019

क्र.	स्तर	कार्य	समय सीमा
		<p>चरण 2— अन्तिम चयन प्रक्रिया में निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित है—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लिखित आंकलन प्रपत्र के माध्यम से केआरपी की विषयाधारित अवधारणा उद्देश्य आदि को जाँचा जाये।</li> <li>• समूह चर्चा (Group Discussion) के माध्यम से केआरपी की सामान्य विषयों पर जागरूकता व समझ को जाँचा जायेगा।</li> <li>• प्रत्येक केआरपी को विषयाधारित अवधारणा को पढ़ाने के लिए लगभग 15 मिनेट का समय दिया जायेगा जिसमें अवधारणा की स्पष्टता, सत्र संचालन, आत्मविश्वास आदि को जाँचा जायेगा।</li> </ul> <p>चरण 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पैनल द्वारा केआरपी को अंक आवृत्ति कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तथा अन्तिम सूची साझा की जायेगी।</li> <li>• अंतिम रूप से चयनित राज्य संदर्भ समूह (SRG) के क्षमता संवर्द्धन हेतु केआरपी / SRP प्रशिक्षण से पूर्व आमुखीकरण कार्यशाला परिषद स्तर से निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी।</li> </ul>	16 सितम्बर 2019

अतः उक्तानुसार निर्देशों की अनुपालना में प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करते हुए कुशल एवं दक्ष राज्य संदर्भ समूह का चयन किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

### संदर्भ व्यक्ति व शिक्षकों को सम्बोधित संदेश

इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "NISHTHA" के आयोजन का उद्देश्य आप सभी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति अभिरुचि, उत्साह, अपनत्व एवं गौरव की अनुभूति विकसित करना है। एक पूर्णतया तर्कसंगत समाज में सर्वोत्कृष्ट, बौद्धिक व प्रतिभाशाली वर्ग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाये देता है तथा यह सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है जिसे चरितार्थ करना आपका दायित्व है। अतः शिक्षण कार्य जिसका प्रभाव क्षेत्र समय व स्थान की सीमाओं से परे है, में अपनी निष्ठा व समर्पण के परिचय के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनायें।

शुभकामनाओं राहित।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव  
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

४  
(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव  
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

दिनांक: ३०/८/१९

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/2019-20/५३२८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर।
5. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट), जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, अति. राज्य परियोजना निदेशक— प्रथम समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त सभाग।
10. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रांशि / मार्शि, समस्त जिले।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. मुख्य ल्लौक शिक्षा अधिकारी, समस्त ल्लौक।
14. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
15. कार्यालय प्रति।

४  
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव  
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकूल, ब्लॉक-८, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-३०२०१७  
दूरभाष: ०१४१-२७०९८४६, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/2019-20/

दिनांक:

एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण (कक्षा १ से ८) कार्यक्रम 2019-20

परिशिष्ट-१

क्र.स	जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षण	निर्धारित केआरपी (KRPs) लक्ष्य	निर्धारित एसआरपी (SRPs)लक्ष्य
1	AJMER	7848	61	12
2	ALWAR	11616	90	18
3	BANSWARA	9768	76	15
4	BARAN	4726	37	7
5	BARMER	15098	117	23
6	BHARATPUR	6892	54	11
7	BHILWARA	10466	81	16
8	BIKANER	7026	55	11
9	BUNDI	4352	34	7
10	CHITTAURGARH	6481	50	10
11	CHURU	6041	47	9
12	DAUSA	5302	41	8
13	DHAULPUR	4570	36	7
14	DUNGARPUR	7717	60	12
15	GANGANAGAR	6590	51	10
16	HANUMANGARH	4579	36	7
17	JAIPUR	13204	103	21
18	JAISALMER	3938	31	6
19	JALOR	7368	57	11
20	JHALAWAR	6626	52	10
21	JHUNJHUNUN	5791	45	9
22	JODHPUR	11931	93	19
23	KARAULI	5056	39	8
24	KOTA	4500	35	7
25	NAGAUR	11405	89	18
26	PALI	7719	60	12
27	PRATAPGARH	4457	35	7
28	RAJSAMAND	6134	48	10
29	S.MADHOPUR	4044	31	6
30	SIKAR	7468	58	12
31	SIROHI	3684	29	6
32	TONK	5449	42	8
33	UDAIPUR	13255	102	20
	Total	241101	1875	373

(5)

ॐ

## राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

## मुख्य संदर्भ व्यक्ति (KRP) चयन प्रारूप 2019

आवेदन क्रमांक .....

जिला..... ब्लॉक.....

फोटो

1 नाम : .....

2 पद : .....

3 जन्म दिनांक : .....

4 घर का पता : .....

5 मोबाइल नम्बर : .....

ईमेल आईडी : .....

6 शैक्षिक योग्यता : .....

7 प्रशैक्षिक योग्यता : .....

8 वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान (विद्यालय का नाम) : .....

9 वर्तमान पदस्थापन दिनांक : ..... इम्प्लोई आईडी .....

10 प्रथम नियुक्ति दिनांक : .....

11. कार्य अनुभव (शिक्षण,आर.पी., के.आर.पी. आदि सभी प्रकार के अनुभव लिखें)

कार्य का प्रकार / दायित्व

(कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, अन्य पद, आरपी, केआरपी)

अवधि / वर्ष /

दिवस

उपलब्धियां

(परीक्षा परिणाम, प्रशासा, पत्र, पुस्तकार आदि)

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

12. आप की रुचि का विषय :

13. आपने गत 5 वर्ष में कितने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं:

प्रशिक्षण का स्तर

प्रशिक्षण का विषय/प्रकार

अवधि/दिवस

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

14. आप किस विषय में के.आर.पी. बनने हेतु आवेदन कर रहे हैं ?

विषय :

15. अन्य कोई सूचना जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं :

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं असत्य पायें जाने पर विभाग नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतंत्र है। मैं सम्बन्धित विषय का केआरपी चयनित होने पर विभागीय निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करुगां तथा किसी भी जिले, ब्लॉक में केआरपी का कार्य करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ।

प्रार्थी

हस्ताक्षर :

नाम :

### पंचायत शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता श्री/ श्रीमती ..... उक्त विद्यालय में ..... पद पर कार्यरत हैं।

पंचायत शिक्षा अधिकारी

हस्ताक्षर :

ग्राम पंचायत : ..... नाम : .....

ब्लॉक : ..... मोबाइल नं. : .....

जिला : .....

परिविष्ट - 3

एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम केआरपी हेतु पात्र चयनितों का विवरण

क्र.सं	जिला	ब्लॉक	आवेदन क्रमांक	अध्यार्थ का नाम	पद	पदस्थापन	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण योग्यता	प्रथम नियुक्ति	Emp. ID	प्रशिक्षण (केआरपी / एम.टी) अनुमति	विषय हेतु आवेदन (केआरपी)	गो. नं. (वाटसप नं.)

प्राचार्य डाइर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी